मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 29.09.2020

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24-मरवाही के लिए उप निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
2. मरवाही विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है।
3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिसके अंतर्गत मरवाही विधानसभा क्षेत्र शामिल है , में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
4. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 मरवाही(अजजा) में निम्नानुसार उप-निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे:-

निर्वाचन कार्य	निर्धारित तिथि
अधिसूचना का प्रकाशन	**09.10.2020 शुक्रवार**
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	**16.10.2020 शुक्रवार**
नामांकन पत्रों की संवीक्षा	**17.10.2020 शनिवार**
नाम वापसी की तिथि	**19.10.2020 सोमवार**
मतदान की तिथि	**03.11.2020 मंगलवार**
मतगणना की तिथि	**10.11.2020 मंगलवार**

तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा	**12.11.2020 गुरुवार**

A.मतदान केंद्र:-

1. **विधानसभा क्षेत्र में** 237 **मूल मतदान केंद्र एवं** 49 **सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल** 286 **मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है।विधानसभा निर्वाचन**-2018 **के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या** 237 **थी।**
2. **विधानसभा क्षेत्र में** 126 **संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।**
3. **कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को** 1000 **तक सीमित किया गया है।**
4. **कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान दिवस के** 1 **दिन पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा।**
5. **मतदाताओं की पहचान मुख्यतः मतदाता फोटो परिचय पत्र एवं आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ही किया जा सकेगा।**
6. **सभी मतदान केंद्रों स्थल में प्रवेश द्वार पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था हाथ धोने के लिए तथा पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।**
7. **मतदान केंद्र में थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था की गई है मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की थर्मल टेस्टिंग भी की जाएगी यदि उन का तापमान**

निर्धारित तापमान से अधिक मिलता है तो उन्हें अन्य मतदाताओं के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति समय के एक घंटे पूर्व मतदान करने दिया जाएगा। ऐसे मतदाता को मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय के पूर्व पुनः मतदान केंद्र में पहुंचना अनिवार्य होगा।

8. **मतदान हेतु कतार में लगे मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र में जमीन पर निश्चित दूरी पर वर्गाकार चिन्हित किया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।**
9. **मतदान करने हेतु आने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।**
10. **प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के लिए ग्लब्ज प्रदान किया जाएगा।**
11. **कोरोना संक्रमित/ संदिग्ध(प्रमाणित) मतदाता, दिव्यांग** (PwD) **मतदाता एवं** 80 **वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।**

B. निर्वाचक नामावली:-

1. **दिनांक** 01.01.2020 **को अर्हता तिथि मानते हुए तैयार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाता और सतत अद्यतीकरण के दौरान जुड़े मतदाता इस निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है।**

2. **विधानसभा क्षेत्र क्रमांक**-24 **मरवाही** (**अजजा**) **हेतु उप निर्वाचन के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी**, **परंतु इसके लिए आवेदक को निर्धारित समय पूर्व आवेदन करना होगा**.
3. **वर्तमान स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या** 190907 **है जिनमें से** 93694 **पुरुष मतदाता**, 97209 **महिला मतदाता तथा** 04 **तृतीय लिंग मतदाता हैं।**
4. **विधानसभा निर्वाचन**-2018 **के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या** 184021 **थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में** 6886 **की वृद्धि हुई है।**
5. **चिन्हांकित दिव्यांग** (PwD) **मतदाताओं की संख्या** 1813 **है।**
6. **कुल मतदाताओं में** 18-19 **वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या** 4211 **है।**
7. 80 **वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या** 1461 **है**, **जिनमें** 483 **पुरूष एवं** 978 **महिलाएं हैं।**
8. **इस विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाता नहीं है। सभी मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है।**
9. **सेवा मतदाताओं की संख्या** 201 **है। सभी सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक** (ETPBMS) **माध्यम से डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे।**

C.नाम-निर्देशन व्यस्था:-

1. **विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर**, **सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है।**
2. **निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।**
3. **अभ्यर्थियों को** online **नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर हस्ताक्षर/ शपथपत्र को** notarization **पश्चात हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।**
4. ***क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है अतः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाले जमानत राशि रुपये*** *5000(**पांच हजार**)* ***निर्धारित है***
5. **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल दो ही व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं**, **पहले इसकी संख्या चार थी।**
6. **रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के** 100 **मीटर के दायरे में केवल दो वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी**, **पहले यह संख्या तीन थी।**

D.प्रचार-प्रसार:-

1. **विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप शाखा के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है।**

2. डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति (सुरक्षाकर्मी यदि कोई, को छोड़कर) ही उपस्थित रह सकेंगे।
3. रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या (सुरक्षा वाहन, यदि कोई हो, को छोड़कर) 5 होगी, पहले यह संख्या 10 थी।
4. दो रैलियों के बीच में कम से कम आधा घंटे का अंतराल होगा, पहले यह 100मीटर की दूरी पर होता था।
5. सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व से चिन्हांकित स्थान पर ही किया जा सकेगा एवं सभाओं में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।

E.आदर्श आचार संहिता:-

1. विधानसभा क्षेत्र -24 मरवाही विधानसभा के लिए उपनिर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला गौरेला -पेंड्रा -मरवाही में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
2. आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जिला अंतर्गत शासकीय खर्च में लगाये गये समस्त होर्डिंग व प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे।
3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा/ कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे।
4. शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

5. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम** 1951 **की धारा** 28-**क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण**, **अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।**
6. **निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।**
7. **यदि कोई मंत्री निर्वाचन के कार्य से विधानसभा क्षेत्र**-24 **मरवाही में भ्रमण करते हैं**, **तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। इन कार्यक्रमों में केवल वही अधिकारी सम्मिलित होंगे**, **जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून व्यवस्था के लिए**, **सुरक्षा के लिए या वीडियोग्राफी एवं व्यय के मूल्यांकन के लिए तैनात किया गया हो**, **अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।**
8. **निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों**, **प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है । विधानसभा क्षेत्र**-24,**मरवाही में निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों मे लगाए गए**

लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के प्रतिबंधित रहेगा।

9. विधानसभा क्षेत्र-24,मरवाही में सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक की अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना एवं नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके किसी समर्थक को रु 50,000 से अधिक नकद राशि अपने साथ रखने की अनुमति नहीं होगी

10. विधानसभा क्षेत्र-24 मरवाही के स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रम सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध: निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केंद्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत एवं विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों की उपलब्धता है, के वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।

11. आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की जावेगी। इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति में किसी भी प्रकार

का दीवार लेखन ,पोस्टर/ पेपर चिपकाना, कटआउट लगाना, होर्डिंग/ बैनर लगाना या अन्य किसी प्रकार से संपत्ति विरूपण नहीं किए जाने हैं।

12. आदर्श आचरण संहिता लागू होने की तिथि से होर्डिंग/ विज्ञापन जो लोक धन एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए हो, आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

13. उप निर्वाचन की घोषणा के त्वरित उपरांत जिला अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालय के वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों के फोटोग्राफ्स तत्काल हटाए जाने के निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं

F. *निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण:-*

1. राज्य विधान सभा हेतु अभ्यार्थियों की खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की गई है
2. निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।
3. नामनिर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंकिंग अकाउंट से स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा किया जाएगा अपने निर्वाचन प्रचार के दौरान समस्त व्यय वह इस अकाउंट से ही करेगा।

4. **नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी।**
5. **अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम** 3 **बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक /निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करेंगे।**
6. **परिणाम घोषणा के** 30 **दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।**
7. **निर्धारित समय में व्यय लेख जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम** 1951 **धारा** 10 **के तहत अभ्यर्थी को** 3 **साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।**
8. **यदि अभ्यर्थी का कोई अपराधिक पूर्ववृत्त है तो**, **अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक तीन बार न्यूज़पेपर एवं टेलीविजन में अपने अपराधिक केस के विषय में प्रकाशन करना होगा।**
9. ***यदि अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उसे अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की सूचना अपने दल को भी देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण ठीक उसी तरह करना होगा जैसा कि अभ्यर्थी से अपेक्षित है***, **नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन**

,**नाम वापसी के अंतिम दिन से** 5 **से** 8 **दिन में दूसरा प्रकाशन एवं नाम वापसी के अंतिम दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा।**

G. मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC कमेटी)

1. **राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी।**
2. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल**, **केबल टीवी चैनल** ,**रेडियो** (**निजी एफएम रेडियो सहित**), e-**समाचार पत्र** ,**बल्क एस**. **एम**.**एस**./**वॉइस मैसेज** ,**सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम**, **सोशल मीडिया** ,**वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दल अनुमति लेंगे।**
3. **प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों के लिए अंतिम** 48 **घंटों को छोड़कर राजनीतिक विज्ञापन प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।**
4. **मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार / फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।**
5. **पेड न्यूज़ के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।**

6. **निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर ,पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम एवं पता छपा होना आवश्यक है ।**

H. EVMs &VVPATs:-

1. **विधानसभा क्षेत्र क्रमांक** 24 **मरवाही के उप निर्वाचन में** electronic voting machine **का उपयोग किया जाएगा।**
2. **निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में जिले में उपलब्ध है।**
3. **सभी** EVMs &VVPATs **की** FLC **कर ली गयी है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी मशीनों पर** mock poll **कराया गया है।**
4. **मतदान हेतु मतदान मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मतदान मशीनों पर मॉक पोल कराया जाएगा ।**
5. **सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु निर्देशित करें, ताकि सभी निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से वाकिफ हो सकें।**

I.IT application:

1. **C-vigil:-**
   - **आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सिविल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है।**

- अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत केवल फोटोग्राफ एवं वीडियो के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे।
- यह एप्लीकेशन केवल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ही उप निर्वाचन के दौरान कार्यशील रहेगा।
- यदि कोई नागरिक इस विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सिविल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है।
- शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है।
- पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी।
- यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है।
- सामान्य मामलों में शिकायतों की जांच 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।

2. SUVIDHA:

- **इस नवीन** Application (suvidha.eci.gov.in) **के माध्यम से वर्तमान में नामांकन फॉर्म भरने हेतु कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।**
- **इस एप्प का उपयोग कर रैली परमिशन के लिए आवेदन कर सकते है।**
- **इस हेतु विकसित** 'Candidate App' **को** Google Play Store **से डाउनलोड किया जा सकता है।**

3. **Votet help line app-**
    - **मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मतदाता , मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हैं**

4. **Voter turnout-**
    - **इस एप्लीकेशन का उपयोग कर उपनिर्वाचन में वोटर टर्नआउट (पुरुषों, महिलाओं और तीसरे लिंग की संख्या सहित) को देकग जा सकेगा।**

5. nvsp.in-

- **इस पोर्टल का उपयोग कर** 18 **वर्ष या अधिक उम्र के नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या**

पहले से पंजीकृत मतदाता नाम या पता संशोधन करने के लिए या अपना नाम मतदाता सूची से हटवाने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं |

- इस एप्लीकेशन में आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा अपने फॉर्म की स्थिति पता करने हेतु किया जा सकता सकता है ।
- इसी के साथ पोर्टल में मतदाता सर्च सुविधा , मतदाता सूची का लिंक एवं निर्वाचन सम्बंधित सभी अधिकारीयों की सूची भी प्राप्त की जा सकती है

6. NGS-

- इस पोर्टल का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होना , आवेदन फॉर्म का निराकरण न होनाया आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लियव किया जाता है।

7.Other links:

- अभ्यर्थी के द्वारा नामनिर्देशन के दौरान भरे गए शपथपत्र को देखने हेतु https://affidavit.eci.gov.in/
- मतदाता सूची में अपना नाम सर्‍च करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in के लिंक http://election.cg.nic.in/elesrch/ में जाकर अपनी डिटेल देख सकते हैं।

- **राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर** 1800 23 311950 **एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर** 1950 **पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।**
- **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर** 07712221965 **पर भी कॉल किया जा सकता है।**

J.***अन्य***:-

1. **कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर**, **जिला स्तर एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर** 1-1 **हेल्थ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है।**